भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 384
जिसका उत्तर मंगलवार, 19 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

अस्थि विकलांगजनों द्वारा वाहन खरीद

384. श्री गणेश सिंह :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वित्त मंत्रालय की दिनांक 30.09.2019 की अधिसूचना संख्या 14/2019-एकीकृत कर दर के अनुपालन में 40 प्रतिशत तथा अधिक की अस्थि विकलांगता वाले व्यक्तियों द्वारा वाहन की खरीद के लिए जीएसटी की दर में छूट के लिए संशोधित दिशा निर्देश अधिसूचित कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार अस्थि विकलांग व्यक्तियों का सतना (मध्य प्रदेश) सहित ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की तिथि के अनुसार अस्थि विकलांग व्यक्तियों द्वारा खरीदे गए वाहनों का सतना (मध्य प्रदेश) सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आज की तिथि के अनुसार 40 प्रतिशत तथा अधिक की अस्थि विकलांगता वाले व्यक्तियों द्वारा सतना (मध्य प्रदेश) सहित राज्य-वार जीएसटी दर पर प्राप्त की गई छूट का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क) से (ख): जी, हाँ। दिशानिर्देशों का ब्यौरा भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट www.dhi.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) से (ङ): सतना (मध्य प्रदेश) सहित, दिव्यांगजनों व्यक्तियों द्वारा वाहन खरीदने के लिए जीएसटी की रियायती दर प्राप्त करने के लिए जारी किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का ब्यौरा भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट www.dhi.nic.in >Schemes/Programs>GST Concession to PWDS पर उपलब्ध है। अलग से राज्य-वार सूचना नहीं रखी जा रही है।

*****